

सं. 13012/01/2014-के।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 15 जुलाई, 2014

सेवा में

डॉ. नूतन ठाकुर
5/426, विराम खंड,
गोमती नगर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्ति के लिए डॉ. नूतन ठाकुर का आर टी आई आवेदन।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 15.05.2014 के आवेदन का अवलोकन करें जो अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, आर टी आई सैल, गृह मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 02.07.2014 के पत्र सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के तहत इस मंत्रालय में सभी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अंतरित किए जाने पर इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2014 को प्राप्त हुआ था। यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इस अनुभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 'शून्य' है।

2. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय), कक्ष सं. 127-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,


(एस. सी. करोल) 15/7/14

निदेशक, (के-111) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
टेलीफैक्स: 23093301

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

- iii) अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
- ✓ iv) अनुभाग अधिकारी, आई टी सैल, गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आर टी आई आवेदन तथा इससे संबंधित उत्तर को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।